बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4तक0/औद्योगिक विकास अभियान/07/2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में औद्योगिक अभियान योजनान्तर्गत ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–1410 दिनांक–04.10.2017 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन कर इसकी समीक्षा एवं प्रकाशन, पुस्तकों की छपाई, इन पुस्तकों को कम्प्यूटर/डिस्लेटर के संग्रहण, देश एवं विदेशों में राज्य से संबंधित औद्योगिक आधारभूत जानकारियाँ एवं अन्य सूचनाओं से इच्छुक उद्यमियों/निवेशकों को अवगत कराना, समय–समय पर औद्योगिक अभियान के सिलसिले में सेमिनार, संगोष्ठियों का विभिन्न जगहों पर आयोजन करना, इसमें इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया एवं अन्य माध्यमों तथा प्रोजेक्टरों आदि के द्वारा राज्य से संबंधित जानकारियों का फिल्मांकन कर उपस्थापित करना आदि विभिन्न प्रकार का कार्य तथा औद्योगिक विकास के लिए परामर्शी/कन्सल्टेंसी शुल्क का भुगतान करना है। कन्सल्टेंसी शुल्क, घरेलू उद्योग, कृषि पर आधारित यथा फूड प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिलों में गोष्ठियो का आयोजन किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी–मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष 0147–बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अन्तर्गत पूंजी निवेश प्रोत्साहन हेतु गोष्ठियों का आयोजन, विपत्र कोड 23–2852801020147 विषय शीर्ष 0147.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में उपबंधित राशि से की जायेगी जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के रूप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना को उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभागीय पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना होगें, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से सम्बन्धित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जॉचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं ह०), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. इस राज्यादेश में संचिका संख्या–4तक0/औद्योगिक विकास अभियान/07/2018 के पृ0–10/टि0 पर दिनांक 04.01.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–........................./पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/औद्योगिक विकास अभियान/07/2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–........................./पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/औद्योगिक विकास अभियान/07/2018

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–........................./पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/औद्योगिक विकास अभियान/07/2018

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–...135.........../पटना, दिनांक–....11.01.19
सं0सं0– 4तक0/औद्योगिक विकास अभियान/07/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.1.19

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।